संख्या– 527 /62–2–2011–2/3(42)/2009

प्रेषक,

सुशील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/
सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 07 मार्च, 2011

विषयः– आर0आई0डी0एफ0–15 के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 के लिए सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार के निर्धारित भौतिक लक्ष्य से अधिक पर कार्य प्रारम्भ कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या–2639/62–2–2010–2/3(42)/2009टी0सी0, दिनांक 22.07.2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– मा0 मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक दिनांक 14.12.2010 में आर0आई0डी0एफ0–15 के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक ब्लास्टकूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजना के संबंध में मुख्य अभियंता द्वारा अवगत कराया गया है कि 2705 कूपों के जीर्णोद्धार/निर्माण के जो लक्ष्य हैं उसके अनुसार सभी कूपों में कार्य वर्तमान वत्तीय वर्ष में प्रारम्भ हो जायेंगे किन्तु इसकी प्रबल संभावना है कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक सभी कूपों के कार्य पूर्ण न हों और कुछ कार्य अप्रैल से जून के मध्य होंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कूप पर स्प्रिंकलर सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है, जिसका व्यय कूप निर्माण के उपरान्त होगा। ऐसी स्थिति में रू0–110.00 करोड के बजट प्राविधान के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्य के अनुसार यदि मात्र 2705 कूपों पर ही कार्य किया जायेगा तो पूर्ण धनराशि व्यय नहीं हो पायेगी। इस योजना की अवधि तीन वर्ष की है, जिसमें रू0–341.427 करोड की लागत से 8200 कूपों का निर्माण/जीर्णोद्धार किया जाना है। योजना के जनपदवार कुल भौतिक लक्ष्य नाबार्ड के स्वीकृति पत्र में निर्धारित है तथा वार्षिक वित्तीय लक्ष्य भी दिये गये हैं, किन्तु भौतिक लक्ष्य की वर्षवार फेजिंग विभाग स्तर से की गई है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित रू0–110 करोड के वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति नाबार्ड के अनुसार की जानी है। इसकी पूर्ति के लिए वर्णित परिस्थितियों मे मुख्य अभियंता द्वारा प्रस्ताव दिया गया है

Borvell-113

कि कुल जनपदवार लक्ष्यों की सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 हेतु 2705 कूपों के निर्धारित लक्ष्यों से अधिक कूपों पर कार्य प्रारम्भ कराकर वित्तीय लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है।

3– इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जनपदवार निर्धारित तीन वर्षो के कुल मौतिक लक्ष्यों की सीमा के अन्तर्गत अतिरिक्त कूपों पर कार्य प्रारम्भ कराकर रू0–110 करोड के निर्धारित वित्तीय लक्ष्य (वर्ष 2010–11) की पूर्ति सुनिश्चित की जाय।

4– इस सीमा तक उपरोक्त शासनादेश संख्या–2639/62–2–2010–2/3 (42)/2009टी0सी0, दिनांक 22.07.2010 संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय तथा तद्नुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव।

527

संख्या– (1)/62–2–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), लघु सिंचाई एवं भूगर्भ एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7– स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
9– संबंधित मण्डायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10– संबंधित जिलाधिकाकारी, उत्तर प्रदेश।
11– संबंधित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।